राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....(1–5) 1130, 1131, 1132, 1133 व 1134/2018 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट्स (इंडिया) डिपो, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, नवम्, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.11.2018	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। ये पांचों अपीलें व्यवसायी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त पांचों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध ये पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अपील सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अवधि	बकाया मांग राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
1130/18	27.03.2018	2010–11	1,08,241	**1,02,718**
1131/18	27.03.2018	2011–12	2,28,033	**2,15,639**
1132/18	25.04.2018	2012–13	4,55,102	**4,28,642**
1133/18	25.04.2018	2013–14	5,78,907	**5,42,725**
1134/18	25.04.2018	2014–15	2,72,860	**2,54,423**

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने आवेदित राशि को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है केवल मात्र स्थगन प्रार्थना पत्र को अविधिक मानते हुए अस्वीकार किया है। उन्होंने कथन किया कि आबकारी अधिनियम के अनुसार मिलिट्री कैन्टीन से अन्य कैन्टीन में माल सप्लाई किये जाने पर कर की दर 20 प्रतिशत ही लागू होनी चाहिए थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक रूप से कर दर को 30 प्रतिशत का मानते हुए करारोपण किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक मांग राशि को स्थगित करने का अनुरोध किया।

उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश

निरन्तर.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....(1–5) 1130, 1131, 1132, 1133 व 1134/2018 .....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.11.2018	– 2 – दिनांक 19.08.2016 का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होने के फलस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने सी.एस.डी. कैन्टीन द्वारा URC को 20 प्रतिशत की कर दर से जो बिक्री की गई, उसे वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त नवम्, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने Schedule VI के अनुसार 30 प्रतिशत की श्रेणी में मानते हुए अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया है। चूंकि इन प्रकरणों में कर दर का बिन्दु विवादित है तथा यह परीक्षण करने योग्य प्रकरण है। व्यवसायी ने सद्भाव से 20 प्रतिशत की कर दर से कर जमा करवाया है। अब चूंकि इस बिन्दु पर अपील स्तर पर निर्णय होना शेष है, इसलिए व्यवसायी के विरूद्ध सृजित अतिरिक्त मांग पर स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः **"प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना तालिका के कॉलम संख्या 5 में वर्णित वसूली योग्य मांग राशियों की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।"** शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदनलाल मालवीय)** **सदस्य**	